



2026:AHC: 163652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1394 वर्ष 2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: यथार्थ श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, प्रांशु द्विवेदी, राम प्रकाश द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पिता के माध्यम से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि इस पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए और आपराधिक अपील संख्या 48 वर्ष 2025 (किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/बाल न्यायालय, मिर्जापुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2025 के साथ-साथ जिला परिवीक्षा अधिकारी/किशोर न्याय बोर्ड, मिर्जापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 को अपास्त किया जाए। आगे यह प्रार्थना की गई है कि थाना विंध्याचल, जिला मिर्जापुर में भा.द.सं. की धारा 376(2)एन, 376(3), 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एल/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 120 वर्ष 2025 में पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में कथित घटना के समय अपचारी की आयु लगभग 14 वर्ष थी और अब वह 19 वर्ष का है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता की आयु भी लगभग 19 वर्ष है लेकिन कथित घटना के समय उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी, यही कारण था कि उसे नाबालिग माना गया और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों को भी लागू किया गया। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. में आरोप के अनुसार पीड़िता छह वर्ष की अवधि के लिए पुनरीक्षणकर्ता के साथ संबंध में थी और विवाह के बहाने दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे। जब पुनरीक्षणकर्ता ने इनकार कर दिया तो पीड़िता के भाई द्वारा झूठे आरोपों के साथ वर्तमान एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध चार वादों का आपराधिक इतिहास है जिसे उसने स्पष्ट किया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता का बयान बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत भी दर्ज किया गया था जो दर्शाता है कि वर्ष 2018 से पुनरीक्षणकर्ता और पीड़िता के बीच संबंध थे लेकिन पीड़िता की ओर से अपने माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपचारी के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था, यहां तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया है बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट विधि पर विचार किए बिना अपील को खारिज कर दिया। वह 25.04.2025 से बाल संप्रेक्षण गृह में है और उसकी मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि कथित घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए, उसकी सहमति महत्वहीन है। जान से मारने की धमकी देकर पुनरीक्षणकर्ता ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और फोटो व वीडियो भी बनाए जिसके आधार पर उसने बाद में उसका शोषण किया। इस प्रकार,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुनरीक्षणकर्ता को निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह ज्ञात अपराधियों की संगति में आ जाएगा।

वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, एफ.आई.आर. की विषयवस्तु, स्वयं पीड़िता के बयान, कथित घटना के समय पुनरीक्षणकर्ता और पीड़िता की आयु, उस समयावधि जितने समय वह संप्रेक्षण गृह अर्थात् 25.04.2025 से रहा, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया था, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिए। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2025 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के पिता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/पिता एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/पिता आगे इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखेगा, जिसे उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा करने के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/पिता प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा जो किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

5 अगस्त, 2026

सूरज श्रीवास्तव

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”